

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 442]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 नवम्बर 2019—कार्तिक 15, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2019

क्र. एफ ए-3-05-2019-1-पांच-(70).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (इसके पश्चात जिसे “उक्त अधिनियम” से संदर्भित किया गया है) की धारा 164 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-05-2019-1-पांच (50) दिनांक 29 जून, 2019, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:

उक्त अधिसूचना में “21 अगस्त, 2019” शब्द और अंक के स्थान पर, “21 नवम्बर 2019” शब्द और अंक रखे जाएंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2019

क्र. एफ ए-3-05-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-05-2019-1-पांच (70), दिनांक 6 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 6th November 2019

No. F A-3-05-2019-1-V(70).—In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in this department Notification No. F A-3-05-2019-1-V(50), dated the 29th June, 2019, namely:—

In the said notification, for the figures, letters and words “21st day of August, 2019” the figures, letters and word “21st day of November, 2019” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARSHIKA SINGH, Dy. Secy.